भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *221
दिनांक 21 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में चिकित्सा पर्यटन को बेहतर बनाना

***221. श्री नीरज डांगी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): देश में बीते दो वर्षों के दौरान चिकित्सा पर्यटन की स्थिति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख): देश में चिकित्सा पर्यटन को बेहतर बनाने में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग): दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत किस स्थान पर है; और

(घ): चिकित्सा पर्यटन को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21 मार्च 2023 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 221* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (घ)

पर्यटन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, चिकित्सा प्रयोजन के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

वर्ष	चिकित्सा उद्देश्य हेतु विदेशी पर्यटकों का आगमन
2020	1.83 लाख
2021	3.04 लाख

देश में चिकित्सा पर्यटन में सुधार लाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है। इस कार्यनीति ने देश में चिकित्सा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की है:

1. एक आरोग्य गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
2. चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को सशक्त बनाना
3. ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण सक्षम बनाना
4 मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुंच में बढ़ोतरी करना
5. वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना
6. गर्वनेंस और संस्थागत फ्रेमवर्क

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। इस क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, एमवीटी सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के साथ हितधारकों के परामर्श के कई दौर आयोजित किए जा चुके हैं।

मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों जैसे पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा दुनिया के 46 गंतव्यों स्थानों में से वर्ष 2020-2021 के लिए मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स (एमटीआई) में भारत को 10वां स्थान दिया गया है।

*****